



प्रेषक,

सुबास राम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक : 31 जुलाई, 2026

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक विभिन्न जनपदों (नवसृजित जनपदों सहित) में कार्यालय भवनों का निर्माण(चालू कार्य) के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर के 02 कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-23881/CE-BULD/BUILD(chalu)/GON/2026-27, दिनांक-22.07.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद लेखाशीर्षक"विभिन्न जनपदों (नवसृजित जनपदों सहित) में कार्यालय भवनों का निर्माण(चालू कार्य)"के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देयता में से **रु0 168.68 लाख (रु0 एक करोड़ अड़सठ लाख अड़सठ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के अनुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत मूल धनराशि/ प्राविधिक स्वीकृत धनराशि	अनुबन्ध आधारित बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटित धनराशि	(धनराशि रु0 लाख में)		
							गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में समर्पित धनराशि	समर्पण के उपरान्त के अद्यतन अवशेष (6-7+8)	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	27/2024/आई505693/001-121आ0/23-5002-002-05-2024, दिनांक 27.02.2024 एवं 80/2025/आई909607/001-246आ0-23-5002-002-44-2024 दिनांक-19.03.2025 एवं 161/2025/आई1023785/001-426आ0-23-5002-002-44-2024 दिनांक-14.07.2025	बलरामपुर में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/निर्माण खण्ड-1 (इण्डो नेपाल बार्डर), लो0नि0वि0, बलरामपुर के बहुमंजिला (जी+2) कार्यालय भवन का निर्माण कार्य। (सिविल कार्य)	371.49	0.46	371.03	264.58	00.00	106.45	106.45
2	27/2024/आई505693/001-121आ0/23-5002-002-05-2024, दिनांक 27.02.2024	बलरामपुर में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/निर्माण खण्ड-1 (इण्डो नेपाल बार्डर), लो0नि0वि0, बलरामपुर के बहुमंजिला (जी+2) कार्यालय भवन का निर्माण कार्य। (विद्युत कार्य)	74.58	0.65	73.93	08.00	00.00	65.93	62.23
योग:-									168.68

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

- (1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार पर स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा यह पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है तो सम्बन्धित अभियंता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।
 - (2) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
 - (3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (4) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।
 - (5) समस्त धनराशि का आहरण-वितरणसम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
 - (6) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (7) विद्युत/यांत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा संबंधित विद्युत/यांत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 1,68,68,000(रुपये एक करोड़ अड़सठ लाख अड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 4059010510603 विभिन्न जनपदों (नक्सूजित जनपदों सहित) में कार्यालय भवनों का निर्माण(चालू कार्य)मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधित्व अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुवास राम
संयुक्त सचिव।

संख्या:-114/2026/आई-1417304/001-457आ0(1)-23-5-2026तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
- 4- संबंधित जिलाधिकारी।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता (भवन),लो0नि0वि0।
- 10- सम्बंधित मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 11- सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि०।
- 12- सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०।
- 13- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु०-8/लो०नि०अनु०-10/श्रम अनु०-2/गार्ड बुक।
आज्ञा से,
सुबास राम
संयुक्त सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>